INTERNATIONAL JOURNAL OF HISTORY

E-ISSN: 2706-9117
P-ISSN: 2706-9109
www.historyjournal.net
IJH 2025; 7(10): 123-127
Received: 25-08-2025
Accepted: 28-09-2025

डॉ. रवीन्द्र कुमार
असिसटेंट प्रोफेसर, इतिहास
दाउदनगर कॉलेज दाउदनगर,
औरंगाबाद, बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ. रवीन्द्र कुमार
असिसटेंट प्रोफेसर, इतिहास
दाउदनगर कॉलेज दाउदनगर,
औरंगाबाद, बिहार, भारत

बिहार के अस्पृश्यता उन्मूलन आंदोलन में गांधीजी की भूमिका

रवीन्द्र कुमार

DOI: https://www.doi.org/10.22271/27069109.2025.v7.i10b.546

सारांश
भारत की सामाजिक व्यवस्था में सर्वप्रथम चतुर्वर्णीय वर्ण–व्यवस्था की संरचना कर्म आधारित था। इसमें प्रारंभ मे सोपानक्रम नहीं था, सभी वर्ण एक की स्तर पर थे । एक ही परिवार में चारो वर्णो के लोग एक साथ निवास करते थे। कलांतर में जन्म आधारित जाति–व्यवस्था के रूप में इसका रूढ रूपांतरण हो गया अब सामाजिक संरचना सोपानीकृत हो गया। कर्मकाण्ड के आधार पर जातियाँ पवित्र एवं अपवित्र होने लगा और एक दूसरे से स्पर्श होना भी प्रतिबंधित हो गया इसप्रकार अस्पृश्यता का उदय हुआ। अस्पृश्य जातियों को अब मानवोचित नैसर्गिक अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समय–समय पर इस कुप्रथा के विरूद्ध धार्मिक आधार पर चुनौतियाँ दी जाती रही और आजाद भारत में संवैधानिक कानून बनाकर इसके समूल उन्मूलन का प्रयास किया गया। नई प्रौधोगिकी के विकास, लोकतांत्रिक शिक्षा के प्रसार, वैश्वीकरण एव रोजगार के नये अवसरों का विकास जैसे तत्व जातिगत सोपानक्रम के कर्मकांडीय पदस्थिति को बदलने में मदद दी है।

कुटशब्दः वर्ण–व्यवस्था, कर्मकाण्ड, अस्पृश्यता

प्रस्तावना
महाकवि रवीन्द्रनाथ ने पूना में 27 सितम्बर 1932 को कहा था कि–"आज दृढ संकल्प लेकर हम सभी महात्माजी के साथ युगो के इस भार से मुक्त होने के महान कार्य में लग पडे। यह भारत के करोडो–करोड. देशवासियों को केवल जन्म के कारण घोर अपमान का जीवन व्यतीत करने को बाध्य करता रहा है तथा मानवोचित मर्यादा से वंचित करता रहा है, उन्हे वह सहानुभूति नहीं मिलती है जो मानव मात्र का जन्मसिद्ध अधिकार है।[1]"

महाकवि की यह उक्ति अस्पृश्यता जैसी कुप्रथा के उन्मूलन के संबंध में कहा गया था। यह एक सामाजिक बुराई है जो एक विशेष जाति को उसके कार्य के पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर किया जाता था। अछूत जातियों का निवास मुख्य गाँव से बाहर असुविधाग्रस्त स्थानो पर होता था। इन्हे पीने का पानी भी सार्वजनिक कुँए से नही लेने दिया जाता था एवं इनके लिए मंदिर प्रवेश वर्जीत था। छुआछूत की समाप्ति के लिए गॉधीजी ने मूलतः एक धार्मिक दृष्टिकोण अपनाया। प्रायश्चित कृत्य के रूप में सवर्ण हिन्दूओं द्वारा मंदिर प्रवेश कराने के आंदोलन का प्रारंभ और घरेलू नौकर भंगी का महिमामंडन उनके पास इस समस्या का समाधान था। इस अभियान ने अस्पृश्यता के नैतिक एवं धार्मिक आधार को काफी कमजोर किया। लेकिन भिक्खू पारिख का तर्क है कि–"उनका यह प्रयास आर्थिक एवं राजनैतिक मूलो को नष्ट करने में असफल रहा उसने अछूतो के महिमामंडित तो किया लेकिन उनको कोई शक्ति प्रदान नहीं कर सका [2]।"

महात्मा गाँधी बचपन से छुआछूत जैसी प्रथा के विरोधी थे, बचपन में अपनी माँ के मना करने के बाद भी वे "उक्का" जो उनके घर में शौचालय की सफाई करता था के साथ सम्पर्क में आने से नहीं हिचकते थे। उनकी माँ सम्पर्क के बाद उन्हे स्नान करने को कहती थी इसपर गॉधी का तर्क था कि जब वह हमें गंदगी साफ कर सेवा करता है तो वह हमें कैसे दूषित कर सकता है [3]।

1893 से 1914 तक अफ्रीका प्रवास के दौरान उन्हे विभिन्न स्थानो पर नस्लभेदी अपमान सहना पडा। डरबन से प्रिटोरिया जाते समय मोरित्सवर्ग स्टेशन पर उन्हे नस्ली आधार पर ट्रेन से उतार दिया गया [4]। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को कुली कहतें थे और जहॉ निवास करतें थे उसें "कुली लोकेशन" कहते थे। कुली लोकेशन भारत की 'भंगी–वस्ती' 'ढेडवाडा' या यूरोपीय यहुदी बस्ती 'घेटो' के समान था। जहॉ जीवन निर्वाह के मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव था। नस्ली भेदभाव के विरोध में कानूनी लडाई एवं सत्याग्रह के प्रयोग प्रथम बार अफ्रीका में किया [5]।

पुनः 1915 में भारत वापसी के बाद यहॉ के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया। एक तरफ उपनिवेशी शासन के विरूद्ध भारत में राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था, तिलक एवं एनी बेसेन्ट के नेतृत्व में होमरूल आंदोलन अपने चरम पर था वही दूसरी ओर बंगाल विभाजन, सूरत फूट और साम्प्रदातिकता के आधार पर 1909 में मार्ले–मिण्टो रिफार्म द्वारा मुसलमानो के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना 1932 में साम्प्रदायिक पंचाट द्वारा दलितो के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर कर रहा था।

इसके विरूद्ध महात्मा गाँधी ने साम्प्रदायिक एकता एवं भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत उन्मूलन पर जोर दिया। कॉंग्रेस भी पहले छुआछूत आंदोलन के प्रति उतना गंभीर नहीं था लेकिन गाँधीजी ने अपने सभी आंदोलनो में अस्पृश्यता उन्मूलन को सम्मिलित किया एवं इसको व्यापक नैतिक आधार भी प्रदान किया। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव में छुआछूत समाप्ति को स्वराज प्राप्ति के बुनियादी शर्त घोषित किया [6]।

महात्मा गाँधी के समक्ष छुआछूत से संबंधित एक घटना उनके साबरमती आश्रम में घटी जहॉ एक वैष्णव अंत्यज दूदाभाई के आश्रम में रहने पर उनको विरोध का सामना करना पडा। उनके आश्रम का खर्चा कट्टर समझे जाने वाले हिन्दूओं से मिलता था जो अब बंद हो गया और बहिष्कार की खबर फैल गई। ऐसी परिस्थिति में गॉधीजी अपने साथियों के समक्ष एक विचार रखा–"यदि हमारा बहिष्कार हो और हमें कहीं से मदद न मिले तब भी अब हम अहमदाबाद नहीं छोडेंगें। भंगी टोले में जाकर उन्ही के साथ रहेंगें और जो कुछ मिलेगा उसपर या मजदूरी करके गुजारा करेंगें।" यह घटना छुआछूत के प्रति उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करतें है [7]।

एतिहासहिक पक्ष

लगभग 1500 से 1000 ई.पू. वैदिक काल में चतुर्वर्णीय विभाजन भारत की सबसे प्राचीन सामाजिक विभाजन था जिसमें चार वर्ण के रूप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की उत्पति हुई। यह वर्ण विभाजन कर्म सिद्धांत पर आधारित था और उसमें समानता की स्थिति थी कोई सोपानीकृत कर्मकांडीय स्थिति नहीं था। उस काल में एक ही परिवार के सदस्य अलग–अलग वर्णो के कार्य करते हुए एक साथ निवास करते थे। बाद के काल में यह विभाजन जन्म आधाति होने लगा और कर्मकांडीय प्रधानता बढने लगी [8]। कुछ स्मृति में अस्पृश्य जातियों की संख्या सात बताई गयी है जिसमें रजक, चर्मकार,नट, वरूड, कैवर्त्य, धीवर, भेद तथा भील थे वही व्यास स्मृति में कोली, पुस्कर और वराट भी शामिल थे। वृहधर्म एवं स्कंद पुराण में इसकी संख्या अठारह थी। ब्रह्मपुराण के अनुसार बौद्ध, जैन, पाशुपत, लोकायन एवं कापालिकों को स्पर्श करने से व्यक्ति को सवस्त्र स्नान करके शुद्ध होना पडता था।

छुआछूत से संबंधित जानकारी भारतीय इतिहास के स्रोत में मिलते है मेगास्थनीज, स्ट्रबो एवं डायोडोरस के अनुसार भारत में दास नही थे एवं इस प्रकार के कुरीति का वर्णण नहीं करता वहीं फाह्यिान और अलबेरूनी की रचनाओं में इसका व्यापक वर्णन है [12]। समय समय पर इन व्यवस्थाओं को अंदर से चुनौती मिलता रहा है जैसे मध्यकाल में भक्ति आंदोलन से मिला जिसने धार्मिक और सामाजिक जीवन के कर्मकांडीय बुनियाद को चुनौती देकर भक्ति पर बल दिया [13]।

यह वर्ण विभाजन वस्तुतः बाद की सामाजिक वास्तविकता के लिए कुछ विशेष प्रासंगिक नहीं रहा जिसमें सभी क्षेत्रो के सामाजिक श्रेणी की अवधारणा बनायी जा सके। एक विकसित प्रथा के रूप में छुआछूत का विकास तीसरी से छठी सदी के बीच हुआ जब अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप नई जातियों का अभ्युदय हुआ। जन्म के आधार पर कुछ नई जातियॉ इन चार वर्ण के अंतर्गत नहीं आ रही थी तो इन्हे 'पंचम' के नाम से अलग श्रेणी में रखा गया और इन्हे अतिशुद्र कहा जाने लगा[9]। इनकी स्थिति कर्मकांडीय पदसोपान में सबसे नीचे रखा गया और इसे सामाजिक अधिकारो से वंचित किया जाने लगा। इसके अलावे एक समाज का दूसरे समाज से युद्ध आदि के कारण समिश्रण भी शुरू हो गया था जिसके कारण अलग–अलग सामाजिक खण्ड निर्मित होने लगे थे और उनके बीच दूरी बढने लगा था।

उपनिवेश कालीन एवं वर्तमान पक्ष

भारत में सामाजिक संगठन की वास्तविक इकाई जाति व्यवस्था है। 'कास्ट' पुर्तगाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सामाजिक खण्ड होता है कास्ट को ही भारतीय समाज में जाति शब्द से सम्बोधित किया जाता है। जाति की उत्पति वर्ण से मानी जाती है लेकिन वर्ण व्यवस्था जहॉ कर्म आधारित था वहीं जाति–व्यवस्था जन्म आधारित रहा। पारंपरिक भारतीय समाज में जाति–व्यवस्था विभिन्न समूहो एवं व्यक्ति के बीच सभी प्रकार के संबंधो का आधार रहा है। जातीय व्यवस्था का केन्द्रीय आधार पवित्र एवं अपवित्र की संकल्पना पर आधारित पदसोपानक्रम है जिसमें विभिन्न जातियों को उसके वंशानुगत पेशा के पवित्रता एवं अपवित्रता के आधार पर उच्च एवं निम्न कर्मकांडीय स्थिति प्राप्त होती है। लुई डयूमा के अनुसार–"पवित्र एवं अपवित्र की संकल्पना जाति व्यवस्था की केन्द्रीय संकल्पना है जो द्विध्रुवीय विरोध पर आधारित है। भारतीय समाज में पारलौकिता लौकिकता को अपने अंदर समेट लेता है जो ब्राह्मण को क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र से शक्तिशाली बनाता है [10]।"

सामाजिक इतिहासकारो का तर्क है कि कर्मकांडीय श्रेणीपद शक्ति संरचना से कभी असंबद्ध नहीं रही। राजा की स्थिति कभी उतना खोखला नहीं रहा जितना कुछ उपनिवेशवादी इतिहासकारो ने दिखाया है। इस स्थिति में पेशे की प्रकृति और शक्ति केन्द्र से दूरी जैसे तत्व किसी जाति के कर्मकांडीय श्रेणी पदस्थिति का निर्धारण करतें हैं अर्थात शक्ति, संपदा एवं श्रेणी में गहरा संबंध रहा है और इसी आधार पर उच्च एवं निम्न जाति का विभेदीकरण किया गया [11]। श्री निवास जैसे मानवशास्त्री ने प्रभु जाति की संकल्पना से जाति व्यवस्था के कर्मकांडीय व्यवस्था में परिवर्तन को दिखाया है।

जजमानी प्रणाली हिन्दू जातीय प्रणाली का सामाजिक–आर्थिक आधार रहा है और भारत में कृषक सामाजिक संरचना का हिस्सा है। जजमानी प्रणाली के अंतर्गत हरेक जातीय समूह को अन्य जाति के परिवारो को कुछ मानकीकृत सेवाएं देनी होती है। भूमिहीन अछूत जाति के लोग सेवक जातियों से आते हैं जबकि भू–स्वामी उँची जातियों के जिन्हे जजमान या संरक्षक कहते है। पीढी दर पीढी चलने वाले ये सेवा आधारित संबंध जजमानी व्यवस्था कहलाता है। (विलियम वाइजर–द हिन्दू जजमानी सिस्टम 1936)

उपनिवेशी शासन ने अपने संस्थाओं और नीतियों को नए सिरे से निरूपन करके उसे नई शक्ति एवं जीवन दान दिया। जमीन अब बाजारी माल बन गई, नए कानून के सामने समानता, न्याय–प्रशासन एक सुस्थापित सिद्धांत बन गया। शिक्षा संस्थान और सार्वजनिक रोजगार को जाति या पंथ से हटाकर प्रतिभा के लिए मुक्त कर दिया गया। प्राच्यवादी विद्वानो ने जाति–प्रथा को हिन्दू सामाजिक संगठन का सबसे अनिवार्य तत्व पाया। हारबट रिज्ले ने जाति की धारणा को एक नस्ली आयाम प्रदान किया। 1901 के जनगणना कमिश्नर रिज्ले ने सभी जातियों को गिनती के साथ–साथ सोपानक्रम में उसकी स्थिति निर्धारित कर उसे दर्ज करने का प्रस्ताव पास किया। यह व्यवस्था भारतीय जनता को जातिगत सोपानक्रम को रूढ बनाने का सरकारी प्रयास था। डर्क्स ने इसे भारतीय समाज का उपनिवेशी रूप कहा। तदुपरांत जनगणना केन्द्रित जातिगत आंदोलन में लोग संलग्न होने लगे

और उच्ची कर्मकांडी श्रेणीक्रम पाने के लिए जनगणना कमिश्नर को आवेदन देने लगे। ये उर्ध्वमुखी गतिशील समूह 'संस्कृतिकरण' की प्रक्रिया द्वारा अपनी नई स्थिति को वैध बनाने का प्रयास किया [14]।

पश्चिमीकरण के फलस्वरूप एक जाति के सदस्यों के बीच क्षैतिज एकजुटता बढी और उन्होने अनेक जातीय संगठन बनाए। ये जाति संगठन जाति प्रथा की स्थितियों में फेरबदल न करके सामाजिक संगठन के आधार को ही चुनौती दे दी। पश्चिम और दक्षिण भारत के गैर–ब्रह्मण आंदोलन इसके उदाहरण है। 1873 में ज्योति बा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। फूले का तर्क था कि–शूद्र एवं अतिशूद्र जातियों की बदहाली का कारण ब्रह्मणो का प्रभुत्व और शक्ति एवं अवसरो पर उनका एकाधिकार था। महारास्ट्र के गैर–ब्रह्मण आंदोलन ने दो समानांतर प्रवृतियों का विकास किया–एक अधिक धनी गैर–ब्रह्मण के नेतृत्ववाली रूढीवादी प्रवृति के लोग जो अपनी मुक्ति के लिए ब्रिटिश सरकार से आस्था रखते थे। दूसरा इस आंदोलन ने एक अतिवादी प्रवृति का विकास किया जिसका प्रतिनिधित्व सत्यशोधक समाज करता था; उसने बहुजन समाज और सेठजी भटजी के बीच सामाजिक विभाजन को वाणी देकर एक वर्गीय अंतः तत्व का विकास किया [15]।

पश्चिमी भारत में गैर–ब्रह्मण आंदोलन का पहचान यदि कुनबी और मराठा से था तो मद्रास प्रसीडेंसी में उसका संबंध वेल्लालो और द्रवीड. से था। 1916 में सी. एन. मुदालियार के नेतृत्व में एक गैर–ब्रह्मण घोषणपत्र के प्रकाशन एवं गैर–ब्रह्मणो की एक औपचारिक पार्टी के रूप में "जस्टिस पार्टी" का गठन हुआ। इसने काँग्रेस का विरोध एक ब्रह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया और गैर–ब्रह्मणो के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जो मार्ले–मिंटो सुधार में मुसलमानो को दिया गया था। उपनिवेशी नौकरशाही से समर्थन पानेवाली इस मॉग को 1919 के मांटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधार में मद्रास की विधायिका में गैर–ब्रह्मणो के लिए अठाइस सीटें सुरक्षित कर दी गई [16]।

1920 में कोल्हापुर के महाराजा की अध्यक्षता में नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय दलित परिषद् इस दिशा मे एक महत्वपूर्ण प्रयास था। 1926 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन' का गठन किया गया जिसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष एम सी राजा थे। डॉ. अंबेडकर इस सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुए लेकिन इसके उपाध्यक्षो में एक उपाध्यक्ष चुने गये, बाद में इन्होने इस संगठन से त्यागपत्र देकर 1930 में नागपुर में एक सम्मेलन कर अखिल भारतीय दलित संघ का गठन किया। दलितो के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अभाव में पर्याप्त प्रतिनिधि पाने के लिए डॉ. अम्बेडकर अलग निर्वाचक मंडल की मॉग सबसे पहले साइमन कमीशन से की और गोलमेज सम्मेलन में भी अपनी रूख पर कायम रहे। इस निर्वाचक मंडल की मॉग का एम. सी. राजा ने विरोघ किया । इसी समय हिन्दू महासभा के अघ्यक्ष बी. एस. मुँजे एवं एम. सी. राजा के बीच एक समझौता हुआ। इसप्रकार दलित नेतृत्व निर्वाचक मंडल के प्रश्न पर बटॉ हुआ था [17]।

16 अगस्त 1932 को रैम्जे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में साम्प्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई। इस कानून के तहत दलितो के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मॉग को स्वीकार कर लिया गया। मुसलमान एवं सिक्ख पहले से अल्पसंख्यक माने जाते रहे हैं अब दलित भी अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आ गये। दलित वर्ग का शेष हिन्दू समाज से अलग करने के प्रयास का लगभग सभी राष्ट्रवादी नेताओं ने विरोध किया [18]।

साम्प्रदायिक निर्णय के समय गॉधीजी यरवदा जेल में थे और वही से इस घोषणा का प्रबल विरोध किया और 20 सितम्बर 1932 से जेल मे ही आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होने इसे हिन्दूवाद एवं दलित दोनो के लिए खतरा कहा। पृथक निर्वाचन का सबसे बडा खतरा यह है कि यह अछूतो के लिए हमेशा अछूत बने रहने की बात सुनिश्चित करता है। उन्हे अलग समुदाय बनाने की जरूरत नहीं बल्कि छुआछूत की कुरीति को जड. ये उखाड. फेकने की है। प्रेस को दिए बयान में उन्होने कहा–"मुझे अपनी जिन्दगी की परवाह नहीं, इस पवित्र उदेश्य के लिए ऐसी सैकडो जिन्दगियॉ कुर्बान हो जाए तो भी उस जुल्म का प्रायश्चित नहीं हो सकता जो हिन्दूओं अपने गरीब भाई–बहन पर ढाए हैं [19]।"

अनशन के कारण महात्मा गाँधी का स्वास्थ्य गिरने लगा । मदनमोहन मालवीय, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, पुरूषोतम दास टंडन और राज गोपजाचारी के प्रयास से गाँधी एवं अम्बेदकर के बीच 26 सितम्बर 1932 को एक समझौता हुआ जिसे 'पूना पैक्ट या पुना समझौता' के नाम से जानतें है। इस पैक्ट द्वारा दलित निर्वाचन मंडल को को समाप्त कर दिया गया लेकिन प्रांतीय विधान मंडल में दलित सीटो की संख्या 71 से बढाकर 147 कर दिया गया एवं केन्द्रीय विधानमंडल में दलितो संख्या में 18 प्रतिशत की बढोतरी किया गया। इसके बाद गाँधीजी दो साल तक सारे कामकाज छोडकर छुआछूत आंदोलन में जुटे रहें। जेल से छुटने के बाद गाँधीजी वर्धा गए जहॉ से 7 नवम्बर 1933 को अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की जो 29 जुलाई 1934 तक अर्थात नौ महीने तक देश का दौरा करते रहें, इस यात्रा में उन्होने बीस हजार किलोमीटर की यात्रा तय की। ट्रेन, कार, बैलगाडी और जहॉ कुछ नहीं मिला वहॉ पैदल यात्रा की। सामाजिक कार्यकर्ताओं से सब कुछ छोडकर दलितो के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक उत्थान के लिए कार्य करने की अपील की। इस कार्य में दो बार 8 मई एवं 16 अगस्त 1933 को अनशन पर बैठे। इस आंदोलन के दौरान कट्टरपंथियों और सामाजिक प्रतिक्रियावादियों के विरांध का सामना करना पडता था। 25 जून 1934 पर पूना में एक कार पर गाँधीजी बैठे है समझकर हमला कर कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया इस प्रकार के हमले अनेको जगह पर हुए [20]।

संविधान प्रारूप समिति के अघ्यक्ष के लिए अम्बेदकर को चुनकर काँग्रेस ने दलित प्रतिरोध को समाहित करने का प्रयास किया। जैसा कि एल्योनोर जोलियट ने कहा–लगा कि गाँधी–काँग्रेस–अस्पृश्यता की स्थिति की सभी धाराएँ एक साथ आ गई हो।

बिहार में अस्पृश्यता उन्मूलन आंदोलन

महात्मा गाँधी राजतीति आंदोलन की शुरूआत बिहार से प्रारंभ की थी उनके द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनो में बिहार के लोगो ने बढचढकर हिस्सा लिया। गाँधी द्वारा चलाए गए अस्पृश्यता आंदोलन का बिहार में बहुत व्यापक प्रभाव पडा। 27 सितम्बर से 3 अक्टूबर तक देश में अस्पृश्यता सप्ताह मनाया गया। 30 सितम्बर को अस्पृश्यता विराधी लीग की स्थापना दिल्ली में किया गया और सभी प्रांतो में इसकी शाखाएँ खोली गई। बिहार में हरिजन उत्थान का काम पहले शुरू हो गया था। 17 जुलाई 1932 को गया के मॉडल स्कूल में एक सभा आयोजित की गई जिसमे एक मेहतर ने सभा में भाषण दिया एवं उपस्थित लोगो के बीच इलाइची एवं सुपारी वितरित किया जिसे अनेक लोगो ने सहर्ष ग्रहण किया। गया, नवादा एवं औरंगाबाद में कई सभाएँ हुई जिसमें सवर्ण हिन्दू एवं हरिजन सम्मिलित हुए। अनेक स्थानो पर एक दूसरे को गले लगाते थे। 1932 के मध्य शाहाबाद, आरा, बक्सर, भभुआ एवं दूर्गावती में ऐसी सभाएँ हुई। पटना जिले में इस प्रकार की सभाएँ–पटना सीटी, बाढ, मोकामा, बख्तियारपुर, बिहारशरीफ, दानापुर, विहटा, मनेर, खगौल और विक्रम में हुई। हरिजनो के लिए कई स्थानो पर मंदिर प्रवेश के प्रयत्न किए गए। शाहाबाद जिला अंतर्गत ब्रहम्पुर मंदिर और औरंगाबाद के जम्होर में मंदिर हरिजनो के लिए खोल दिए गए। कई स्थानो पर कट्टरपंथी के विरोध का सामना करना पडा। आरा में 25 सितम्बर 1932 को एक अवकाश प्राप्त पेशकार श्री रामेश्वर प्रसाद के

मंदिर के सामने सभा हुआ एवं सत्यनारायण पूजा के प्रसाद वितरण के उपराँत कुछ प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इसमें गाँधीजी की जय एवं भारत माता की जय के नारे लगे। प्रांत में धीरे–धीरे परंपरागत विचारवाले लोग के विरोध के बाबजूद अस्पृश्यता निवारण के पक्ष में वातावरण तैयार हो रहा था [21]।

बिहार में अस्पृश्यता निवारण आंदोलन के संचालन हेतु एक प्रांतीय संस्था का गठन किया गया। 6 नवम्बर 1932 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक सम्मेलन सूरजपूरा के राजा राधिकारमण प्रसाद के अध्यक्षता में सम्पन हुआ। बिहार के प्रख्यात वैद्ध पंडित ब्रज बिहारी चौबे सम्मेलन के स्वागतकारिणी के अध्यक्ष थे। श्री चौबे के अनुसार–"यह प्रथा हिन्दू समाज को खोखला कर रही है एचं हिन्दूओं को तथाकथित अछूत भाइयों के साथ भाईचारा एवं प्रेम व्यवहार की अपील की। उनके सामाजिक शैक्षणिक उत्थान के लिए हर तरह के सुविधाओं के आयोजन करने पर बल दिया। इस सम्मेलन में पॉच प्रस्ताव स्वीकृत किए गए –

1 हिन्दू समाज में छुआछूत व्याप्त हो गई है, यह एक सामाजिक अभिशाप है इसे दूर करें।
2 स्वर्ण हिन्दू अपने कुओं, मंदिर और तालाब पर से अछूतो के उपयोग करने पर सभी प्रतिबंध हटा दें।
3 दलित लोगो के खान–पान तथा रहन सहन में आवश्यक सुधार करके आंदोलन को तीव्रता प्रदान करें।
4 स्थानीय स्वायत संस्थाएँ दलितो के लिए छात्रवृति, आर्थिक सहायता एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान करे जिससे सामाजिक कल्याण का कार्य आगे बढे।
5 अस्पृश्यता निवारक लीग की एक प्रांतीय अधिषद् बनाई जाए।

बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना 6 नवम्बर 1932 में की गई जिसके उपसभापति पंडित बृजबिहारी चौबे, राधिका रमण प्रसाद, राय वृजराज कृष्ण और विजय सिंह बनाए गए। बिहार के 14 जिलो में जिला समिति का गठन किया गया जिसमें पटना, गया, आरा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, चम्पारण, दरभंगा, संथालपरगना, सारण, पूर्णियाँ, राँची, हजारीबाग और पुरूलिया शामिल थे। अस्पृश्यता के विरूद्ध विशेष प्रचार मुजफ्फरपुर जिला समिति द्वारा सोनपुर मेला, रामनौमी मेला एवं सुस्ता मेला में किया गया। आरा समिति ने ब्रहमपुर मेला में भाषण एवं इश्तेहार का आयोजन किया। हरिजन दिवस प्रांत भर में मनाएँ गये। इस अयोजन में सवर्ण हिन्दू और दलित कई स्थलो पर एक दूसरे के साथ भाई–भाई के रूप में मिले। हरिजन सेवक सघ का हिन्दी संस्करण प्रकाशित किया गया एवं "शास्त्रो की व्यवस्था" शीर्षक पुस्तिका की 10000 प्रतियॉ वितरित की गई। 236 मंदिर दलितो के लिए खोल दिए गए। 257 संयुक्त धार्मिक कीर्तन, कथा, भजन एवं प्रार्थना आयोजित किए गए। पतितपावन भगवान के नाम से भागलपुर के कहलगाँव मे एक नया मंदिर खोला गया। शिक्षा के विकास के लिए छात्रवृति एवं आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई । प्रांत में 5 कन्या पाठशालाएँ एवं 113 दिन एवं रात्री पाठशालाएँ खोली गई। इसके अलावा जिला समिति मासिक छात्रवृति भी प्रदान करती थीं। दलित को स्थानीय संस्थाओं में निशुल्क शिक्षा दिया जाता था। आर्थिक बचत, मितव्यता एवं महाजनो के शोषण से बचाने के लिए बैंक की स्थापना की गई। नगरपालिका वकर्स यूनियन का गठन किया गया। उचित मूल्य पर खाद्य पदार्थ के आपूर्ति के लिए दूकान भी खोली गई। खादी भण्डार मधुबनी में दलित की नियुक्ति की गई। सारण कमेंटि ने कुछ दलित युवको को बढई का काम शुरू करने के लिए 15 रूपये का अनुदान दिया गया। सर्वण हिन्दुओं द्वारा हरिजन मुहल्ले में 292 बार जाकर सेवा–कार्य किया और अनेक स्थानों पर साबुन, सोडा एवं तेल बाँटे गये। दलितो को नशाबंदी करने हेतु अपील की गई जिसमें दलितो ने कई स्थानो पर ताडी–शराब आदि न पीने एवं मृतक जानवरो के मांस न खाने की संकल्प लिया। 646 कुएँ दलितो को पानी लेले के लिए खोल दिए गये। मुँगेर जिला में स्थानीय संस्थाओ ने दलितो के लिए 14 कुँए बनवाये एवं एक नलकूप लगाया गया। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा एवं आरा नगरपालिका के लिए सरकार द्वारा एक दलित को नगरपालिका का सदस्य मनोनीत किया गया। पुरूलिया में दलितों के बीच खेलकूद प्रतियोगिता आ आयोजन किया गया जिसमें शील्ड एवं मेडल दिए जाते थे। प्रतिसंध्या सामाजिक–धार्मिक सभाएँ होती थी जिसमें कीर्तन–भजन के साथ रामायण एवं महाभारत का पाठ किया जाता था ।

15 जनवरी 1934 को बिहार के उतरी भाग में भयानक भूकम्प आया। इस प्राकृतिक आपदा से लगभग बीस हजार लोग हताहत हुए। गाँधीजी ने अपनी दक्षिण भारत के हरिजन यात्रा स्थगित करके 11 मार्च को पटना पहुँचे और पटना के सेन्ट्रल रिलीफ कमिटी के दफ्तर में ठहरे। 14 मार्च को राजेन्द्र बाबू के साथ मोतिहारी के लिए रवाना हुए। अगले दिन गाँधीजी अपनी मंडली सहित देहातो के लिए रवाना हुए, उनकी मंडली में राजेन्द्र बाबू, मथुरा बाबु, श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती भगवती देवी, श्रीमती किशुन देवी, श्री प्यारेलाल, श्री पृथ्वीराज एवं श्री देवराज शामिल थे। ये रिलीफ कमिटी के लिए पैसा एकत्र करते एवं जरूरतमंदो के बीच बाँट देते। गॉधीजी इस दैवी आपदा में अस्पृश्यता उन्मूलन से जोड दिया। छपरा में 27 मार्च को 30 हजार लोगो के सम्बोधन में उन्होने कहा–"आज हम पर एक भयानक विपत्ति आई है। इससे हम सभी हिन्दू–मुसलमान, ईसाई या अन्य लोग तथाकथित कुलीन या अकुलीन एक समान पीडित हुए है। यदि यह भयानक विपत्ति भी हमें कुल और वर्ण से मुक्त नहीं करती और आदमी और आदमी के बीच के सभी मानवकृत भेदो को मिटा देने की प्रेरणा नहीं देती तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे समान कोई अभागा नहीं है।" इसप्रकार गाँधीजी अस्पृश्यता को चुनौती देकर जागरूक करनें का प्रयास किया [22]।

11 से 27 मार्च के बीच दानापुर अनाथालय में सम्बोधन में छात्रों को इस संकट काल में आगे आकर सहायता कार्यो में हाथ बँटाने की अपील की। 28 मार्च को मुजफ्फरपुर गए जहॉ एक डोम ने प्रतिवेदन देकर कुँए से पानी नहीं लेने देने की जानकारी दी। इसपर गाँधीजी ने कहा कि 15 जनवरी से सबक हमने नहीं सीखी। यहाँ से वे जूरनछपरा गए जहाँ उन्होने आत्मशुद्धि के लिए प्रार्थना की तथा छुआछूत निवारण पर बल दिया और राशन अधिशेष के लिए चंदा भी एकत्र किया। 29 मार्च को सीतामढी गए वहाँ से 31 मार्च को मधुबनी, भागलपुर, सहरसा, बीहपुर होते हुए 2 अप्रैल को भागलपुर पहुँचे। 3 अप्रैल को गॉधीजी मुंगेर गए और वहॉ से पटना आने के दौरान मोकामा, पण्डारक, बाढ एवं बख्तियारपुर गए जहॉ रास्ते में कुछ सनातनीयों ने काले झण्डे दिखाए। इस दौरान रिलीफ कमिटी ने तीन महीनों में लगभग 25000 कुएँ खुदवाए गए और गाँववाले को समझाबुझाकर दलितो को भी उसमें से पानी लेने को राजी करने पर विषेश ध्यान दिया गया। इस दौरान 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक असाम की यात्रा पर रहें और पुनः 24 अप्रैल से दूसरी हरिजन यात्रा बिहार में प्रारंभ की। इस बार 25 अप्रैल को वें कुलहरिया पहुँचे और वहाँ से बाबू राधामोहन सिंह के आमंत्रण पर जम्हरिया गए। यहाँ करीब दस हजार लोगो को सम्बोधन किया। सभा मे हरिजन बालको ने स्वागत गान गाया एवं माला पहनायी। आरा जिला अस्पृश्यता निवारक संघ के अध्यक्ष राजा राधिकारमण प्रसाद सिन्हा, बाबू शत्रुंजय प्रसाद सिंह तथा बाबू भगत प्रसाद ने उन्हे चंदा प्रदान किया। इसी दिन बक्सर गए जहँ सनातनियों ने रास्तें में सभाओं में कुछ गडबडी फैलाने का प्रयास किया एवं कालं झण्डे दिखाए। 26 अप्रैल को जसीडीह पहुँचे वहाँ भी सनातनियों ने बाधा डालना चाहा। उनके गाडी का पिछला शीशा टुट गया, वे गाडी से उतरकर सनातनियों के बीच से होकर लगभग एक

मील पैदल चले। देवघर में भी विरोध प्रदर्शन हुए। गॉधीजी ने प्रदर्शन के तरीके के लिए खेद प्रकट किया । अप्रैल के अंत में चार दिन तक राँची में रहने के उपरांत उडीसा गये इसप्रकार अपनी अधूरी हरिजन यात्रा बिहार से समाप्त की [23]।

महात्मा गाँधी ने जातीय पूर्वाग्रह से उत्पन अस्पृश्यता का आजीवन विरोध करते रहे, उन्होने हिन्दू मुस्लिम भाईचारे के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। गाँधी से प्रेरित भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता दूर करने हेतु कानून बनाए, धर्म के मामले में राज्य की निरपेक्षता कायम की। संविधान ने नागरिको को समान राजनैतिक अधिकार प्रदान किए और अनुच्छेद–17 द्वारा अस्पृश्यता को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया। 1955 में संसद ने अस्पृश्यता अपराध एक्ट बनाकर ऐसे अपराधो के लिए दण्ड की वयवस्था की। 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण एक्ट पारित किया गया।

संदर्भ सूची

1. डॉ. के. के. दत्तः बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, भाग–2, पेज संख्या–186
   तेन्दुलकर में उद्धत, खण्ड–3, पेज–217
2. शेखर बंद्योपाध्यायः पलासी से विभाजन तक और उसके बाद, पेज संख्या–350
   गाँधी पॉलिटिकल फिलॉसॉफीः अ क्रिटिकल इग्जामिनेशन 1989, पारेख भीखू नॉट्रेडैम इंडियाना, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉट्रेडैम प्रेस
3. सत्य के प्रयोगः आत्मकथा
4. सत्य के प्रयोग आत्मकथाः प्रिटोरिया जाते हुए, पेज–78
5. वही, कुली लोकेशन या भंगी बस्ती, पेज संख्या–188
6. शेखर बंद्योपाध्यायः पलासी से विभाजन तक और उसके बाद, पेज संख्या–350
   बेली सूसर्नः कास्ट सोसाइसी एण्ड पालिटिक्स इन इंडिया फ्रॉम एटिन्थ सेंन्चूरी, 1999 पेज–251
7. सत्य के प्रयोगः आत्कथा, कसौटि पर चढे, पेज संख्या–258
8. झा एण्ड श्रीमालीः प्राचीन भारत का इतिहास
9. शेखर बंद्योपाध्यायः पलासी से विभाजन तक और उसके बाद, पेज संख्या–339
10. वही, पेज संख्या–339
11. वही, पेज संख्या–340
12. झा एण्ड श्रीमालीः प्राचीन भारत का इतिहास
13. शेखर बंद्योपाध्यायः पलासी से विभाजन तक और उसके बाद, पेज संख्या–340
14. वही, पेज–343
15. वही, पेज–343
16. वही, पेज–345
17. वही, पेज–351
18. विपिन चन्द्रः भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, पेज–275
19. वही, पेज–276
20. वही, पेज–278
21. डॉ. के. के. दत्तः बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, भाग–2, पेज संख्या–188, 189, 199, एवं 192
22. वही, पेज संख्या–202, 205, 206,
23. वही, पेज संख्या–208, 211, 214 एवं 215